भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 50
03.02.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरणीय मंजूरी नीति में परिवर्तन

50. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील :
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने संबंधी अपनी नीति में संशोधन किया है;

(ख) क्या सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) और स्थापित करने की सहमति (सीटीई) के दोहरे अनुपालन में किन्हीं परिवर्तनों की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परिवर्तन से पर्यावरण में बहिस्रावों का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों के लिए सीटीई जारी करने के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के सांविधिक अधिदेश पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने दोहरी अनुपालन आवश्यकता को दूर करने संबंधी संभावित पर्यावरणीय निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापक आकलन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) केन्द्र सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 में संशोधन किया है तथा कुछ श्रेणियों के उद्योगों को सहमति प्राप्त करने से छूट प्रदान की है। इसके परिणामस्वरूप यदि परियोजना या गतिविधि के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो, तो श्वेत श्रेणी के उद्योगों को सहमति तंत्र से पूरी तरह छूट प्रदान करने और अन्य श्रेणियों को स्थापना की सहमति से छूट प्रदान हेतु अधिसूचनाएं [वायु अधिनियम की धारा 21(1) के अंतर्गत सा.का.नि. 702 (अ) दिनांक 12-11-2024 और जल अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत सा.का.नि. 703 (अ) दिनांक 12-11-2024] जारी की गई हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं/गतिविधियों को अलग से

पहले स्थापना की सहमति (सीटीई) प्राप्त करने से छूट प्रदान की गई है। तदुपरांत, उपर्युक्त अधिसूचनाओं को कार्यान्वित करने हेतु मंत्रालय द्वारा दिनांक 14 नवंबर, 2024 को मानक संचालन कार्य-पद्धति (एसओपी) जारी की गई है, जिसे दिनांक 14 जनवरी, 2025 के का.ज्ञा. के तहत आंशिक रूप से संशोधित किया गया है। इस एसओपी में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निदेश दिया गया है कि पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता वाली परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए, स्थापना की सहमति प्राप्त करने से प्रदान की गई छूट को आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने और उद्योगों की स्थापना से संबंधित पर्यावरण सुरक्षा उपाय अपनाने, जैसा भी आवश्यक हो, ईसी की शर्तों में ही एकीकृत किया जाएगा। उपर्युक्त का.ज्ञा. में परियोजना स्थल, परियोजना की व्यवहार्यता और संबंधित परियोजना के लिए पर्यावरण सुरक्षा उपायों के संबंध में संबंधित एसपीसीबी की टिप्पणियां प्राप्त करने का प्रावधान है, जिन्हें ईसी की शर्तों में एकीकृत किया जाएगा। एसपीसीबी को अपेक्षित शुल्क के भुगतान का भी प्रावधान किया गया है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने विकास की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप उचित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और उसमें तेजी लाने के लिए प्रणालीगत और नीतिगत सुधार किए हैं। यह छूट न केवल उद्योगों पर अनुपालन बोझ को कम करेगी बल्कि पर्यावरणीय मंजूरी और सहमति के मानदंडों के परस्पर व्यापी होने के कारण अनुमोदन के दोहराव को कम करके व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देगी। उद्योगों की कुछ श्रेणियों को छूट देने से पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना में दोनों प्रक्रियाओं को प्रभावी रूप से एकीकृत किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एसपीसीबी को पर्यावरण मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान अपनी टिप्पणियाँ/शर्तें रखने का अवसर मिलेगा, जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों में शामिल किया जाएगा। साथ ही, 'संचालन की सहमति' का मौजूदा तंत्र भी वर्तमान रूप में जारी रहेगा और एसपीसीबी संचालन की सहमति के तंत्र के माध्यम से परियोजनाओं द्वारा संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को विनियमित और निगरानी करना जारी रखेंगे।

*****